रेल दावा अधिकरण, दिल्ली
(रेल मंत्रालय)

सुरक्षा (सिक्योरिटी) संविदा के लिए निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से अपर रजिस्ट्रार, रेल दावा अधिकरण, 13/15, माल रोड, दिल्ली-54 द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय के निवास स्थान एबी-78, शाहजहां रोड, नई दिल्ली के लिए 24 घंटे सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु 17,29,534/- रू0 (सतरह लाख उन्नतीस हजार पांच सौ चौंतीस रूपये) के अनुमानित मूल्य पर दो वर्ष की अवधि के लिए निर्धारित फार्म में खुली मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं ।

निविदा का विस्तृत विवरण तथा निबंधन एवं शर्तें वेबसाईट www.rct. indianrail.gov.in अथवा **www.nr.indianrail.gov.in** पर उपलब्ध हैं । जो फर्में उपर्युक्त वेबसाइट से निविदा फार्म डाउन लोड करके निविदा जमा करेंगी उन्हें दस्तावेजों की लागत के रूप में 1,000/- रूपये (केवल एक हजार रूपये) बैंक ड्राफ्ट के रूप में वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी **(FA&CAO)**, उत्तर रेलवे के पक्ष में जमा कराने होंगे, ऐसा न करने पर उनकी निविदा सरसरी तौर पर निरस्त कर दी जाएगी ।

खुली निविदा सूचना संख्या आर 0 **सी**0 **टी**0/**दिल्ली**/**सिक्योरिटी**/**एबी**-78/2018

दिनांक 2.7.2018

निविदाकर्ता के लिए सामान्य शर्ते

(निविदा सूचना सं. आरसीटी/दिल्ली/सिक्योरिटी/रेजिडेन्स/2018 दिनांक

1. अपर रजिस्ट्रार, रेल दावा अधिकरण, **13/15**, माल रोड, दिल्ली को संबोधित संलग्न प्रोफार्मा में मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है जिन्हें एक लिफाफे जिस पर ' एबी-**78**, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-**110001** आवासीय परिसर में सुरक्षा प्रदान करने के लिए निविदा फार्म लिखा हो, में डालकर भिजवाया जाएगा । निविदा कागजात अपर रजिस्ट्रार के कार्यालय, रेल दावा अधिकरण, **13/15**, माल रोड दिल्ली-**110054** में रखी गई निविदा पेटी में दिनांक **06.8.2018** को **14.00** बजे तक डाले जाएंगे । निविदा पेटी को उसी दिन **15.00** बजे उन निविदाकारों की उपस्थिति में खोला जाएगा जो कि उपस्थित रहना चाहें । संविदा की अवधि दो वर्ष की होगी । निविदा अनुसूची **25.7.2018** तक विक्रय की जाएगी ।

2. निविदा की अनुमानित लागत रू0 **17,29,534/-** दो वर्ष के लिए ।

3. **<u>पात्रता मापदंड</u>**:-

(i) केवल वे निविदाकार पात्र होंगे/होगा जिसने पिछले **3** वित्तीय वर्षों के दौरान कुल संविदागत मूल्य प्राप्त करने का पात्रता मापदंड और चालू वित्त वर्ष के दौरान निविदा मूल्य के न्यूनतम **150** प्रतिशत प्राप्त करने का मापदंड पूरा कर लिया हो ।

(ii) निविदाकार/निविदाकारों द्वारा इस आश्य के प्रमाणित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे जैसाकि नियोक्ता द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र/चार्टड लेखाकार द्वारा यथा प्रमाणित ऑर्डर बैंलेस शीट आदि (प्राधिकार रेलवे बोर्ड का **7/14.07.2013** का पत्र सं0 **94**/सी.ई-**1**/सी.टी/**4** (भाग-**3**)

4. **निविदाकारों के साख-पत्र**:-

निविदाकार के पिछले अनुभव और वित्तीय स्थिति को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज या तो निविदा के साथ या जब भी रेल दावा अधिकरण के प्राधिकारियों द्वारा मांगे जाएं तब प्रस्तुत किए जाएंगे ।

जिन निविदाकार/निविदाकारों ने अभी तक उत्तर रेलवे पर काम नहीं किया है और या जो उत्तर रेलवे की ठेकेदारों की अनुमोदित सूची में शामिल नहीं हैं उन्हें अपनी निविदा के साथ निम्नलिखित सत यापित करने के लिए साख पत्र प्रस्तुत करने होंगे ।

(i) कार्य को संतोषजनक तरीके से निपटाने के लिए उसकी क्षमता ।

(ii) बैंकों के संदर्भ तथा अन्य दस्तावेजों द्वारा समर्थित उसकी वित्तीय स्थिति ।

(iii) विगत में किए गए कार्यों की सूची के साथ-साथ आमंत्रित निविदा में उल्लिखित कार्यों के संबंध में संविदागत अनुभव संबंधी सम्यक् रूप से प्रमाणित प्रमाण-पत्र तथा अन्य शंसा-पत्र ।

5. निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त होने वाली निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा । निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करना पूर्णत: मामले को देख रहे प्राधिकारी के स्वविवेक पर होगा और किसी भी निविदाकार द्वारा निविदा के निरस्त होने के कारणों का कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा जाएगा ।

6. निविदाकारों द्वारा निविदा के साथ **34590/-** रूपयेकी बयाना राशि वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी उत्तर रेलवे के पक्ष में जमा कराना अपेक्षित है । किसी भी अनुसूचित बैंक अधिमानत राष ट्रीयकृत बैंक द्वारा वेतन आदेश या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी के पक्ष में जमा की गई बयाना राशि को ही स्वीकार किया जाएगा । बिना बयाना राशि निक्षेप वाले निविदा फार्म पर विचार नहीं किया जाएगा और इस प्रकार के निविदा फार्म को निरस्त कर दिया जाएगा । सभी असफल निविदाकारों को बिना ब्याज के बयाना राशि वापस कर दी जाएगी । असफल निविदाकारों को बयान राशि के भुगतान में विलंब होने की स्थिति में रेल दावा अधिकरण की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।

7. प्रत्येक माह दरें स्याही के पैन द्वारा शब्दों और अंकों में स्पष्ट रूप से लिखी जाएंगी । मजदूरी **,** ईपीएफ**,** अंशदान**,** ईएसआई**,** सेवाकर आदि का विस्तृत ब्रेकअप एक अलग शीट पर दिया जाना आवश्यक है । निविदा फार्म पर किसी प्रकार की कोई काटकूट या फेर बदल या उपरिलेखन होने पर उसे अवैध घोषित कर दिया जाएगा । निविदाकारों द्वारा

निर्धारित राशि न दर्शाए जाने की स्थिति में निविदा को तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा । शब्दों में लिखी दरें अंतिम मानी जाएंगी ।

8. निविदा फार्म के साथ नवीनतम आयकर समाशोधन प्रमाण पत्र भी लगा होना चाहिए । रेल दावा अधिकरण को ऐसे आवेदनों को अस्वीकार करने का अधिकार आरक्षित होगा जिसके साथ नवीनतम आयकर समाशोधन प्रमाण पत्र न लगा हो।

9. निविदा फार्म के साथ सभी सूचनाओं के समर्थन में जहां भी संभव हो दस्तावेजी प्रमाण संलग्न होने चाहिए । रेल दावा अधिकरण को ऐसे आवेदन को निरस्त करने का अधिकार है जिसके साथ संबंधित कागजात न लगे हों ।

10. यदि निविदाकार भागीदारी फर्म या लिमिटेड कंपनी या अविभाजित हिंदू परिवार है तो संबंधित विलेखों/कागजातों की प्रति निविदा के साथ लगी होनी चाहिए और इस प्राधिकार का एक पत्र भी लगा होना चाहिए कि फर्म, भागीदारी/परिवार की ओर से कौन व्यक्ति सभी कार्रवाई करेगा ।

11. रेल दावा अधिकरण द्वारा सफल निविदाकार को स्वीकार्य पत्र जारी करने के पश्चात् **10** दिन के अंदर एक करार निष्पादित करना होगा ।

12. करार के निष्पादन के लिए स्टैम्प डयूटी की लागत ठेकेदार द्वारा वहन की जाएगी ।

13. बोलीकर्ता रजिस्टर्ड स्वामित्व वाली भागीदारी फर्म लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए जिसके पास कानून (जैसे कि निजी सुरक्षा (विनियम अधिनियम **2005** के अनसुार लाईसेंस/नामांकन हो)

14. ठेके के शुरू होने की तारीख से संविदा की अवधि दो वर्ष होगी ।

15. रेल दावा अधिकरण को इस संबंध में लागू नियम के अनुसार निविदाकार के साथ बातचीत करने का अधिकार होगा ।

16. निम्न स्थिति में बयाना राशि को जब्त कर लिया जाएगा **:-**

क**-** यदि चयनित निविदाकार करार संविदा के निष्पादन के पश्चात् **10** दिन के

अंदर कार्य शुरू करने में विफल रहता है ।

ख**-** यदि चयनित निविदाकार स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के पश्चात् **10** दिन के अंदर

संविदा के कागजात निष्पादित नहीं करता है ।

17. रेल दावा अधिकरण किसी भी दस्तावेज की मूल प्रति मांगने का अधिकार आरक्षित रखता है ।

18. संविदा अधिनियम के मूल्य के संबंध में मूल्य भिन्नता की अनुमति तभी दी जाएगी जब कभी संविदा दिए जाने के बाद न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दरें संशोधित की जाएं । न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत वेतन/मजदूरी के संशोधन के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर ठेकेदार द्वारा लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर इस खंड के अंतर्गत दरें संशोधित की जाएंगी । बहरहाल संशोधन केवल न्यूनतम मजदूरी के मामले में प्रभावी होगा ।

19. निविदाकार अर्द्ध कुशल कोटि के तीन सिक्योरिटी गार्ड उपलब्ध कराएगा जिनके पास प्राईवेट सिक्योरिटी गार्ड अधिनियम **2005** के अधीन प्रशिक्षण पूरा करने का वैद्य प्रमाण पत्र हो । गार्डों का डयूटी समय नीचे दिए अनुसार होगा **:-**

(i) एक सिक्योरिटी गार्ड प्रात**: 8.00** बजे से सायं **8.00** बजे तक **(**सभी दिन के लिए**)** ।

(ii) दूसरा सायं **8.00** बजे से प्रात**: 8.00** बजे तक **(**सभी दिन के लिए**) (**आधा घंटा ब्रेक सहित **)**

उपर्युक्त समय रेल दावा अधिकरण प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय बदले जा सकते हैं ।

20. विशेष शर्तें **:-**

ठेकेदार की डयूटी/कार्य नीचे दिए गए हैं **:-** क**-** एबी**- 78,** शाहजहां रोड**,** नई दिल्ली**-110001** आवासीय परिसर के लिए सिक्योरिटी उपलब्ध कराना ।

ख- आवासीय परिसर बिल्डिंग में अनाधिकृत व्यक्तियों को रोकना।

ग- रेल दावा अधिकरण प्राधिकारी द्वारा जब भी हटाने के निर्देश दिए जाएं तो अनाधिकृत व्यक्ति को परिसर से हटाना ।

घ- उक्त परिसर में अन्य सभी अनाधिकृत एवं गैर कानूनी गतिविधियों और आपत्तिजनक गतिविधियों को रोकने सहित डयूटी पर निगरानी और देखभाल करना ताकि अच्छा शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बन सके ।

ड़- परिसर में चोरी और गुंडागर्दी रोकने के लिए कानून के अनुसार आवश्यक कदम उठाएगा और राज्य सरकार के आनुषांगिक प्राधिकरणों के साथ समय-समय पर आवश्यक समन्वय बनाए रखेगा । निविदाकर्ता और उसके ऐजेंट और कर्मचारी कुछ ऐसे संबंद्ध कार्य भी करेंगे जो उन्हें रेल दावा अधिकरण प्राधिकारी द्वारा जब भी कभी बताए जाएंगे और इसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा । रेल दावा अधिकरण द्वारा समय समय पर दिए गए कार्य को किए जाने के तरीके संबंधी सम्यक् प्रकार से दर्ज कराने संबंधी और प्रत्येक शिफ्ट में कर्मचारियों की तैनाती तथा कार्य संबंधी अन्य निर्देश ठेकेदार पर आबद्धकर होंगे । इसे करार का भाग समझा जाएगा ।

21- रेल दावा अधिकरण ठेकेदार को उपर्युक्त डयूटी के संतोषजनक निष्पादन पर सहमत राशि अदा करेगा । रेल दावा अधिकरण के नामित प्राधिकारी से संतोषजनक कार्य प्रमाणित होने पर चैक द्वारा मासिक आधार पर भुगतान किया जाएगा ।

22- रेल दावा अधिकरण किसी भी समय बिना कोई कारण बताए लिखित में तीन महीने का नोटिस देकर इस संविदा की समाप्ति से पहले ही संविदा को समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा और ऐसे समापन के लिए वह किसी भी मुआवजे के भुगतान के लिए दायी नहीं होगा । रेल दावा अधिकरण के लिए यह भी विधि सम्मत होगा कि वह ठेकेदार द्वारा इसमें उल्लिखित निबंधनों एवं शर्तों का अथवा उसे या उसके मजदूरों और

कर्मचारियों को दिए गए आदेशों का उल्लंघन करने पर बिना किसी नोटिस के किसी भी समय यह करार बर्खास्त कर दे और इसके लिए वह किसी भी मुआवजे के भुगतान के लिए दायी नहीं होगा ।

23- निविदाकार या उसके कर्मचारी ड्यूटी के समय कोई नशा नहीं करेंगे ।

24- निविदाकार इस कार्य में लगे कर्मचारियों को समय-समय पर अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान नहीं करेंगे या जहां मजदूरी अधिसूचित नहीं है वहां पडोस में इसी प्रकार के कार्यों में लगे मजदूरों के समान मजदूरी का भुगतान करेंगे । अदा की गई मजदूरी भारत सरकार या संबंधित राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए कानून में यथानिर्धारित से कम नहीं होगी जैसाकि रेलवे में इस प्रकार के कार्यों में लगे कर्मचारियों पर लागू होती है । निविदाकार भुगतानों के रिकार्ड का उचित रखरखाव करेंगे और प्रतिमाह रेल दावा अधिकरण को इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उसने निर्धारित मजदूरी अदा की है । निविदाकार गार्डों को भुगतान चैक अथवा एनईएफटी द्वारा करेंगे ।

25- यदि संविदा अवधि खत्म हो जाती है तो निविदाकर्ता के लिए यह बाध्यकार होगा कि उन्हीं निबंधनों एवं शर्तों पर तीन माह की अवधि तक स्वीकृत दरों पर कार्य करता रहे ।

26- निविदाकर्ता या उसके एजेंट रेल दावा अधिकरण की लिखित में पूर्व अनुमति के बिना उन्हें सौंपे गए कार्य से अनुपस्थित नहीं होंगे और अनुदेशों में उल्लिखित सभी कर्मचारियों को पूरे समय ड्यूटी पर उपलब्ध कराएंगे ।

27- संविदा की अवधि के दौरान रेल दावा अधिकरण के विरूद्ध निविदाकार द्वारा सभी दावे लेन देन की तारीख से दस दिन के अंदर दायर किए जाएं ।

28- निविदाकर्ता इस कार्य या इसके किसी भाग को किसी व्यक्ति को न तो उप पट्टे पर देगा और न ही सौंपेगा । यदि निविदाकार उपर्युक्त निर्देशों के अनुपालन में विफल रहता है तो रेल दावा अधिकरण संविदा को बिना सूचना के तत्काल बर्खास्त कर सकता है और

निविदाकार संविदा की इस प्रकार की बर्खास्तगी के परिणामस्वरूप किसी भी दावे के हकदार नहीं होगा। उपुर्यक्त निर्देशों का उल्लंघन हुआ है अथवा नहीं इस मामले में रेल दावा अधिकरण का निर्णय अंतिम और बाध्यकर होगा।

29- पक्षकारों के संबंधित अधिकारों और बाध्यताओं या इन विलेखों के वास्तविक आशय या अर्थ या किसी भी अनुच्छेद या शर्तों के संबंध में रेल दावा अधिकरण और निविदाकार के बीच उत्पन्न किसी विवाद या विचारों में मतभेद होने की स्थिति में इस प्रकार के विवाद या विचारों के मतभेद को एक मध्यस्थ जिसे माननीय अध्यक्ष रेल दावा अधिकरण दिल्ली द्वारा इस आशय के लिए उस समय के लिए नामित किया जाएगा की एकमात्र मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा जिसका निर्णय भारतीय मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों और प्रवृत्त नियमों के अंतर्गत अंतिम और पक्षकारों पर बाध्यकर होगा।

30. निविदाकार द्वारा किसी निर्देश के अनुपालन में विफल होने या उनके उल्लंघन करने की स्थिति में **:-**

क **:-** रेल दावा अधिकरण को संविदा बर्खास्त करने का अधिकार होगा।

ख **:-** रेल प्रशासन द्वारा नोट किए गए निम्न स्तर के कार्य या उपर्युक्त उल्लिखित

अनुदेशों/शर्तों के उल्लंघन के प्रत्येक मामले में अधिकतम **1000/-** रूपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है जिसके संबंध में रजिस्ट्रार रेल दावा अधिकरण दिल्ली का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। रेल दावा अधिकरण को हुए नुकसान की स्थिति में पूरे नुकसान की वसूली कर ली जाएगी और किस हद तक नुकसान हुआ है इस संबंध में रेल दावा अधिकरण का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

ग **:-** यदि कभी करार को निरस्त कर दिया जाता है और प्रतिभूति निक्षेप को पूरा या

उसके किसी भाग को जब्त कर लिया जाता है तो उस स्थिति में ठेकेदार रेल दावा अधिकरण को अगला करार निश्चित होने तक उसका कार्य करवाने के लिए रकम का भुगतान करेगा।

31. संविदा के दिए जाने के पश्चात् ठेकेदार संविदा के मूल्य का दस प्रतिशत प्रतिभूति निक्षेप के रूप में किसी भी प्रतिष्ठित/अनुसूचित बैंक के एफ **0** डी**0** आर **0** के रूप में वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी उत्तर रेलवे के पक्ष में जमा कराएगा ।

32. यदि निविदा कागजात वेबसाइट से डाउनलोड किए जाते है तो **1000/-** रूपये का निविदा मूल्य वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी उत्तर रेलवे नई दिल्ली के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट के रूप में निविदा के साथ जमा कराना होगा। ऐसा न करने पर निविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी ।

33. ठेकेदार बेहतर और प्रभावी सेवाएं देने के लिए कर्मचारियों/मशीनरी को लगाने की कार्य-प्रणाली तय करेगा और यह निर्धारित औद्योगिक मानको के अनुरूप होने चाहिए ।

34. ठेकेदार किसी भी स्थिति में संविदा के अंतर्गत कार्य करने के लिए न तो संविदा को उप पट्टे पर देगा और न ही कोई उप ठेकेदार नियुक्त करेगा ।

35. ठेकेदार उस पर लागू सभी कानूनी प्रक्रियाओं का अनुपालन करेगा और उसके द्वारा लगाए/नियुक्त सभी व्यक्तियों को यथा लागू सभी लाभ/सुविधाएं जैसे भविष्य निधि कर्मचारी राज्य बीमा कामगार मुआवजा अधिनयम बोनस ग्रेचुयेटी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और छुट्टी इत्यादि प्रदान करेगा । ठेकेदार के कर्मचारियों पर लागू किसी भी कानून नियम अधिसूचनाओं के उल्लंघन के मामले में ठेकेदार जिम्मेदार होगा और इस संविदा के अधीन कार्य करने के लिए उसके द्वारा लगाए/नियुक्त किए गए किसी भी कर्मचारी एजेंट प्रतिनिधि अटर्नी व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी भी भूल चूक के लिए दायी होगा।

36. ठेकेदार अपने पते या अपने मुख्य कार्मिकों के नाम और पते में किसी भी परिवर्तन के बारे में रेल दावा अधिकरण को लिखित में सूचित करेगा। इसके अलावा ठेकेदार रेल दावा अधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना अपने स्वामित्व में कोई परिवर्तन नहीं करेगा ।

37. ठेकेदार रेल दावा अधिकरण को पूर्ववर्ती माह की पांच तारीख तक यह वचनबद्धता प्रस्तुत करेगा कि उसने सभी कार्य संतोषजनक तरीके से सम्पन्न किए हैं ।

38. ठेकेदार उपर बताई गई सेवाओं को समय समय पर रेल दावा अधिकरण द्वारा संसूचित समय और तरीके से उपलब्ध कराएगा ।

39. ठेकेदार द्वारा लगाए गए कर्मचारियों और रेल दावा अधिकरण के बीच नियोक्ता और कर्मचारियों का कोई संबंध नहीं होगा। सुरक्षा सेवाएं पूर्ण रूप से संविदागत होने के कारण ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों का नियुक्ति या रेलवे कर्मचारियों के उपलब्ध किन्हीं अन्य लाभ का कोई दावा नहीं होगा । ठेकेदार अपने कर्मचारियों की उनकी यथा लागू मासिक मजदूरी/वेतन तथा अन्य सांविधिक देय जैसे ईपीएफ कर्मचारी राज्य बीमा न्यूनतम मजदूरी बोनस ग्रेच्यूटी इत्यादि का भुगतान बैंक द्वारा भुगतान चैक से/ एन ई एफ टी द्वारा करने के लिए दायी होगा ।

40. ठेकेदार अपने कर्मचारियों के नाम बैज सहित वर्दी उपलब्ध कराएंगे जिसका पैटर्न रेल दावा अधिकरण द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए अपनाए गए पैटर्न से अलग होगा और कर्मचारी काम के पूरे समय तक वर्दी पहनकर रहेंगे और वर्दी का रखरखाव ठीक प्रकार से करेंगे ।

41. ठेकेदार के किसी कर्मचारी को यदि कार्य के निष्पादन के दौरान कोई चोट लग जाती है या दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो इन सभी के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होगा ।

42. ठेकेदार अपने कर्मचारियों के आचरण और व्यवहार के लिए जिम्मेदार होगा। यदि ठेकेदार का कोई कमर्चारी रेल दावा अधिकरण के किसी कर्मचारी से दुर्व्यवहार करता पाया जाता है तो ठेकेदार तत्काल और आवश्यक कार्रवाई करेगा।

43. यदि ठेकेदार के कर्मचारी/कर्मचारियों की लापरवाही/चूक के कारण आवासीय बिल्डिंग को कोई नुकसान/क्षति पहुंचती है तो ठेकेदार सामग्री/उपस्कर का प्रतिस्थापन करेगा और मुआवजे का भुगतान करके रेल दावा अधिकरण को नुकसान की भरपाई करेगा ।

44. यदि ठेकेदार की सेवाएं संतोषजनक पाई जाती हैं तो ठेकेदार के अनुरोध पर इन्हीं निबंधन एवं शर्तों पर ठेके को अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए रेल दावा अधिकरण की सहमति से बढ़ाया जा सकता है ।

45. ठेकेदार तैनात किए जाने वाले सुरक्षा गार्डों का पहचान पत्र संबंधी साक्ष्य, निवास स्थान, संबंधी साक्ष्य और पुलिस सत्यापन प्रस्तुत करेगा ।

46. ठेकेदार बिल के साथ-साथ यथा लागू ईपीएफ/ईएसआई टैक्स सेवाकर का भुगतान प्रस्तुत करेगा, ऐसा न करने पर रेल दावा अधिकरण द्वारा भुगतान रोक दिया जाएगा और साक्ष्य प्रस्तुत करने पर ही भुगतान रिलीज किया जाएगा ।

मैं/हम उपर्युक्त निबंधनों/ शर्तों को मानने के लिए सहमत हूं/हैं।

निविदाकार के हस्ताक्षर ---------------------

फर्म का नाम --------------------------------

पता---

रेल दावा अधिकरण, 13/15 माल रोड, दिल्ली-54

(रेल मंत्रालय)

(निविदा सूचना सं. आरसीटी/दिल्ली/सिक्योरिटी/कार्यालय/2018 दिनांक)

मैसर्स____

____

रसीद सं.__________________________________दिनांक____________________

माननीय अध्यक्ष, रेल दावा अधिकरण, दिल्ली के निवास स्थान एबी-78, शाहजहां रोड, नई दिल्ली में सिक्योरिटी उपलब्ध कराने के लिए निविदा फार्म ।

अनुमानित लागत : 2 वर्ष के लिए रू0 17,29,534/- (केवल सतरह लाख उन्नतीस हजार पांच सौ चौंतीस)

बयाना राशि : 34,590/- रूपये (चौंतीस हजार पांच सौ नब्बे)

प्रतिभूति निक्षेप : संविदा मूल्य का 5 प्रतिशत अर्थात 86,476/- रूपये

निविदा दस्तावेज की कीमत : 1,000/- रूपये

निविदा की अवधि : निविदा दिए जाने की तारीख से 2 वर्ष तक

खुली बॉक्स के बंद होने की तारीख एवं समय : 25.7.2018 समय 14.00 बजे

निविदा खुलने की तारीख : 06.08.2018 समय 15.00 बजे

मद सं.	विवरण	निविदाकर्ता द्वारा कोट की गई एक मुश्त राशि (मजदूरी,ईपीएफ,ईएसआई इत्यादि संबंधी आंकड़ों का विवरण अलग शीट पर दिया जाए)
	निविदाकारों के लिए संलग्नक विशेष शर्तों में विनिर्दिष्ट शर्तों और संविदा की सामान्य शर्तों (जीसीसी) के अनुसार एबी 78 शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110001 के आवासीय परिसर के लिए 24 घंटे सिक्योरिटी उपलब्ध कराना ।	प्रति माह दर (अंको में) ____________________ ____________________ प्रति माह दर (शब्दो में) ____________________ ____________________

टिप्पणी :- ठेकेदार द्वारा नीचे दिए अनुसार निम्नलिखित कर्मचारी उपलब्ध एवं तैनात कराए जाऐंगे ।

उपर्युक्त परिसर में 24 घंटे सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए कुल 03 सिक्योरिटी गार्ड (अर्द्ध कुशल कोटि) प्रति गार्ड 08 घंटे की डयूटी के हिसाब से आधा घंटे के ब्रेक को छोड़कर उपलब्ध कराए जाऐंगे ।

मैं/हम_________ ने सभी शर्तों/अनुदेशों को पढ़ लिया है और एतद्द्वारा एबी -78 शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110001 के आवासीय परिसर के लिए सिक्यारिटी उपलब्ध कराने के लिए उपर्युक्त निर्देशों/शर्तों को मानने के लिए समहत हूं/हैं । मैं/हम इस निविदा को खोले जाने की निर्धारित तारीख से 120 दिन की अवधि के लिए स्वीकृत हेतु प्रस्ताव खुला रखने के लिए सहमत हूं/हैं और चूक होने पर मैं/हम प्रतिभूति निक्षेप के जब्त होने के लिए जिम्मेदार हूं/ हैं । मैं/हम प्रस्ताव की वैद्यता को उक्त अवधि की समाप्ति के बाद अगले 60 दिन तक बढ़ाने के लिए भी सहमत हूं/हैं, यदि विनिर्दिष्ट रूप से लिखित में ऐसा करने के लिए कहा जाए ।

अपेक्षित सूचना निम्नानुसार है :-

क- निविदाकर्ता का नाम

(घोषित करें कि क्या आवेदक भागीदारी फर्म है या लिमिटेड कंपनी है अथवा अविभाजित हिंदू परिवार है या एकल स्वामित्व वाली फर्म है) यदि यह एक भागदीरी फर्म या कंपनी या परिवार है तो संविदा की प्रति के साथ -साथ सभी संबंधित व्यक्तियों से इस प्राधिकार का पत्र उपलब्ध कराएं जिसमें उस व्यक्ति का नाम दिया जाए जो फर्म या कंपनी या परिवार की ओर से सभी कार्य करेगा और करार हस्ताक्षरित करेगा तथा रेल प्रशासन के साथ सभी पत्र-व्यवहार करेगा ।

ख- (i) यह दर्शाएं कि क्या निविदाकार्ता रजिस्टर्ड है या नहीं और यदि रजिस्टर्ड है तो
रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न करें ।

(ii) प्राधिकृत और जारी की गई पूंजी/वित्तीय स्थिति (साक्ष्य संलग्न करें)

(iii) मुख्यालय का पता

(iv) बैंकरों का पता

(v) कारोबार का अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

(vi) अन्य कारोबार अभिरूचि (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

(vii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार द्वारा निजी सुरक्षा कारोबार में तैनाती संबंधी लाईसेंस
(प्रतिलिपि संलग्न करें)

(viii) ईएसआई/ईपीएफ/सेवाकर पंजीकरण ब्यौरा (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

(ix) पैन कार्ड की प्रतिलिपि

(ठेकेदार के हस्ताक्षर)

____________ द्वारा जारी दिनांक ____________के बैंक ड्राफ्ट/भुगतान आदेश आदि सं0____________ के तहत वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली के पक्ष में जमा कराई गई 34,590/- रूपये की बयाना राशि संलग्न है ।

जब तक औपचारिक करार तैयार और निष्पादित नहीं हो जाता तब तक चयनित निविदाकार और रेल प्रशासन के बीच निविदा की स्वीकृति को ही आबद्धकार संविदा माना जाएगा जोकि इस कार्य के लिए मेरे/हमारे स्वीकृति प्रस्ताव में दर्शाए गए और पक्षकारों के बीच परस्पर सहमत आशोधनों के अधीन होगा ।

स्थान :

दिनांक :

मैसर्स : ________________________

की ओर से हस्ताक्षरित : _________

पूरा पता : ______________________

दिनांक : ______________________

प्रकाशन विभाग
निविदा प्रकाशन स्वीकृति के लिए चैक लिस्ट

1.	**बड़ी इकाई**	रेल दावा अधिकरण, मुख्य पीठ 13/15 माल रोड़, दिल्ली – 54
2.	**छोटी इकाई**	रेल दावा अधिकरण, मुख्य पीठ 13/15 माल रोड़, दिल्ली – 54
3.	**कार्य का प्रकार**	**सुरक्षा निविदा**
4.	**निविदा प्राधिकारी**	अपर रजिस्ट्रार, आरसीटी/दिल्ली
5.	**निविदा सूचना संख्या**	**रे0 दा0 अधि0/दिल्ली/सिक्योरिटी/एबी 78/2018 दिनांक 02-07-2018**
6.	**कार्य का नाम**	माननीय अध्यक्ष, निवास एबी-78 शाहजहां रोड़, नई दिल्ली में सिक्योरिटी उपलब्ध कराना ।
7.	**अनुमानित मूल्य**	**17,29,534/-रू.**
8.	निविदा आमंत्रण सूचना की दिनांक, समय, बजे से रेलवे की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा ।	**05-7-2018 10.00 बजे**
9.	निविदा आमंत्रण सूचना को दिनांक, समय, बजे तक रेलवे की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा ।	**06-8-2018 14.00 बजे**
10.	निविदा दस्तावेजों को दिनांक, समय, बजे से रेलवे की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा ।	**05-7-2018 10.00 बजे**
11.	निविदा दस्तावेजों को दिनांक, समय, बजे तक रेलवे की वेबसाइट पर प्रदर्शित रखा जाएगा ।	**06.8.2018 14.00 बजे**
12.	**निविदा आमंत्रण सूचना फाईल का नाम**	रे0 दा0 अधि0 नीट सिक्योरिटी अंग्रेजी (पीडीएफ)
13.	**निविदा दस्तावेज फाईल का नाम**	रे0 दा0 अधि0 नीट सिक्योरिटी हिंदी (पीडीएफ)